

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:—श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 87/2017

1. जगदीश आत्मज छोगा गुर्जर नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

वादी

बनाम

1. हीरा सिंह आत्मज नंगजीसिंह रावत नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. उरजनसिंह आत्मज मादुसिंह रावत नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र जवानसिंह रावत नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रूपा का खेड़ा पटवारी हल्का भींटा तहसील रायपुर के खाता संख्या 158 में आराजियात संख्या 275 रकबा 0.13 हे०, 282 रकबा 0.17 हे०, 286 रकबा 0.16 हे०, 287 रकबा 0.11 हे०, 291 रकबा 0.03 हे०, 292 रकबा 0.03 हे०, 293 रकबा 0.03 हे०, 294 रकबा 0.04 हे०, 295 रकबा 0.04 हे०, 296 रकबा 0.04 हे०, 347 रकबा 0.09 हे०, 348 रकबा 0.09 हे०, 349 रकबा 0.09 हे०, 350 रकबा 0.10 हे० कुल कित्ता 14 कुल रकबा 1.15 हे० भूमि अन्य आराजियात के साथ वादी को क्रय शुदा भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रायपुर को विभाजन हेतु कमीशनर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वह राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 एवं 21 में दी गई व्यवस्था के अनुसार दोनों पक्षकारों को सूचित करके उनकी उपस्थिति में विभाजन करके खाते अलग कायम करते हुए प्रस्ताव पेश करें। जिसकी पालना में दिनांक 08.10.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


आदेश

ग्राम रूपा का खेड़ा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

क.स	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(हे०)
1	जगदीश पिता छोगा गुर्जर सा देह खातेदार	275/1 282/2 291 292	0.06 0.01 0.03 0.03

		293	0.03
		294	0.04
		295	0.04
		296	0.04
	योग	8	0.28
2.	हीरासिंह पिता नंगजीसिंह 1/3 उरजणसिंह पिता मादुसिंह 1/3, लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र जवानसिंह 1/3 रावत सा देह खातेदार	275/2 282/1 286 287 347 348 349 350	0.07 0.16 0.16 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10
	योग	8	0.87

अंतिम डिकी अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।
यह आज तारीख 03.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 गोविन्द सिंह
 सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
 रायपुर जिला भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा(राज)
पीठासीन अधिकारी:—श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 87/2017

1. जगदीश आत्मज छोगा गुर्जर नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज०)
बनाम

वादी

1. हीरा सिंह आत्मज नंगजीसिंह रावत नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. उरजनसिंह आत्मज मादुसिंह रावत नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र जवानसिंह रावत नि० रूपा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कर्तई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है ग्राम रूपा का खेड़ा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है—

क.स	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है०)
1	जगदीश पिता छोगा गुर्जर सा देह खातेदार	275/1 282/2 291 292 293 294 295 296	0.06 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04
	योग	8	0.28
2.	हीरासिंह पिता नंगजीसिंह 1/3 उरजनसिंह पिता मादुसिंह 1/3, लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र जवानसिंह 1/3 रावत सा देह खातेदार	275/2 282/1 286 287 347 348 349 350	0.07 0.16 0.16 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10
	योग	8	0.87

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।
खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीख 03.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाडा